संख्या-3102/1व.ग्रा.वि./2001-11(15)/2001

प्रेषक,

अशोक

अपर सचिव

उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक

उत्तरांचल, नैनीताल ।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग   देहरादून ।   दिनांक : 25 जुलाई, 2001

विषय : प्रदेश के वन विभाग द्वारा साल वनों के क्षेत्र में सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन (ए.एन.आर.) कार्यक्रम को सेल्फ सस्टेनेबुल बनाने तथा इस हेतु निधि की स्थापना के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विगत दशकों में आयोजनेत्तर मदों में धनाभाव होने के कारण वनों की सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति साल के वन वर्धनिक कार्य सुचारू रूप से नहीं किये जा रहे हैं, मात्र सूखे उखड़े व गिरे पेड़ो का विदोहन किया जा रहा है तथा अति परिपक्व वृक्षों को न हटाने से इनमें ऋणात्मक वृद्धि हो रही है और वृक्ष धीरे-धीरे मर रहे हैं । ऐसी परिस्थिति में इन वनों में वांछित वन वर्धन कार्य न किया गया व परिपक्व वृक्षों को नहीं हटाया गया तो इन वनों का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा ।

2 उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विश्व बैंक सहायतित उत्तरांचल वानिकी परियोजना के अन्तर्गत साल वनों के प्रबन्धन हेतु (ए.एन.आर.) कम्पोनेन्ट प्रस्तावित किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय संतुलन के साथ-साथ वन वर्धनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राकृतिक पुर्नजनन को बढावा दिया जाये ।

3. साल क्षेत्रों में प्राकृतिक पुनरोत्पादन का कार्य प्रचलित कार्य योजना के अनुसार ही किया जाए । यदि कार्य योजना से कोई विचलन है तो विचलन का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर लिया जाय ।

4. साल क्षेत्रों में प्राकृतिक पुनरोत्पादन का कार्य साईट स्पेसिफिक प्लान के अनुसार हो तथा साइट स्पेसिफिक प्लान का अनुमोदन प्रमुख वन संरक्षक उत्तरांचल से होने के उपरान्त ही क्रियान्वित किया जाए ।

5. उक्त क्षेत्रों में छपान कार्य सहायक वन संरक्षक स्तर या उसके ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाए ।

6. साल (ए.एन.आर.) क्षेत्रों के विरूद्ध ऐसे ही क्षेत्र चुने जायें जहाँ पर प्रति हैक्टेयर स्टैंडिंग वोल्यूम 100 घन मीटर से अधिक हो तथा कम से कम लगभग 6.5 घन मीटर आयतन के विरलन के लिये विदोहन हो ।

7. साल (ए.एन.आर.) क्षेत्रों के लिए अलग से छपान सूची तैयार की जायेगी तथा प्रजातिवार प्रकाष्ठ का आयतन व रायल्टी के दो चालान की गणना की जायेगी । कुल आगणित रायल्टी के दो चालान संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा

बनाये जायेंगे । एक चालान रायल्टी के 1/3 भाग हेतु वन जमा के लिए होगा तथा शेष 2/3 भाग वन राजस्व प्राप्तियों के लेखा शीर्षक 0406-वानिकी तथा वन्य प्राणी-01-वानिकी-101-लकड़ी और अन्य वन्य उत्पादक की बिक्री के अन्तर्गत चालान द्वारा जमा किया जायेगा । वन जमा में जमा की गई धनराशि के लिए रजिस्टर अलग से रखा जाय तथा वन जमा संबंधित कार्यवाही व रख-रखाव वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-7 के अनुसार किया जाय । वन जमा एवं वन राजस्व में प्रत्येक जमा की गई धनराशि एवं प्रभागवार व्यय की गई धनराशि के विवरण वित्त विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे ।

8. साल वन क्षेत्रों से प्राप्त आय का 1/3 भाग जो वन जमा के अन्तर्गत जमा कराया जायेगा उसका उपयोग संबंधित वन प्रभाग के साल क्षेत्रों के प्राकृतिक पुनरोत्पादन व विकास के लिये ही किया जायेगा ।

9. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(अशोक)
अपर सचिव

संख्या-3102/1व.ग्रा.वि./2001-11(15)/2001

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तरांचल
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम, देहरादून
3. परियोजना निदेशक, उत्तरांचल विश्व बैंक वानिकी परियोजना, नैनीताल ।
4. समस्त वन संरक्षक, उत्तरांचल ।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल ।

आज्ञा से

(किशननाथ)
उपसचिव